न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/69/2016 वाद — दायर दिनांक 18.07.2016

उनवान

1. भैरूलाल पिता रामा जाति भील, आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

1. देऊ पत्नी किशोर जाति भील, आयु वयस्क निवासी उमण्ड, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. भुमिधारी तहसीलदार, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट —वादीगण
स्वयं —प्रतिवादी

–: वाद पत्र अन्तर्गत 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 07.02.2024

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वाके मौजा ग्राम रूपाखेडी पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन का निवासी होकर वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजीयात संयुक्त रूप से खातेदार होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसकी हाल आ0नं0 1185 रकबा 0.44 हैक्ट0, आ0नं0 1187 रकबा 0.02 हैक्ट0, आ0नं0 1202 रकबा 0.08 हैक्ट0, आ0नं0 1203 रकबा 0.23 हैक्ट0, आ0नं0 1206 रकबा 0.52 हैक्ट0, आ0नं0 1207 रकबा 0.29 हैक्ट0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.58 हैक्ट0 स्थित है जो वर्तमान मे खाते मे वादी व खातेदार हुडी पिता घीसा का 2/3 हिस्सा दर्ज है शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का दर्ज है।

यह कि वादी को खातेदार हुडी जोजे भेरा पुत्री घीसा भील ने दिनाक 10.9.1982 को एक बक्षीस नामा रजिस्टर्ड निष्पादित किया हुडी वादी की रिश्ते मे मौसी लगती थी तथा उसके कोई जायज सन्तान नही होने से वादी की माता मूली ने हुडी की सेवा चाकरी की जिससे प्रसन्न होकर वादी के पक्ष मे बक्षीस नामा तादादी 2000/– रूपये निष्पादित कर रजिस्टर्ड कराया बक्षीसनामे मे साबिक आराजी नम्बर जो ग्राम रूपाखेडी की साबिक जमाबन्दी सम्वत 2039–42 पर दर्ज आराजी स0 575 रकबा 7 बीघा 4 बीस्वा, आराजी स0 582 रकबा 3 बीस्वा आ0चा0, आ0सं0 585 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज था। जिसको जरिये बक्षीस वादी के नाम पर रजिस्टर्ड बक्षीस करा वादी के पक्ष मे निष्पादित किया, तब से ही वादी उसकी माता मुली बाई उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रही है ।

यह कि साबिक आराजी संख्या 575 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा के वर्तमान मे आ0सं0 बने जो इस प्रकार है– 575 मी. के 1185 रकबा 0.44 हैक्ट0, [illegible] 1202 रकबा 0.08 हैक्ट0, आ0सं0 1203 रकबा 0.23 हैक्ट0, आ0सं0 1206 रकबा 0.52 हैक्ट0, आ0सं0 1207 रकबा 0.29 हैक्ट0, बने तथा साबिक आ0सं0 582 के हाल [illegible] 1186 [illegible] हैक्ट0, तथा साबिक आ0सं0 582 मी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:43 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के हाल न0 1187 रकबा 0.02 हैक्ट0 बने जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे वादी व मृतक हुडी के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हैं।

यह कि हुडी की मृत्यु दिनाक 19.12.2013 को हो गई लेकिन बक्षीस नामा भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) होने से पहले का है तथा आ0सं0 बदल चुके है इसलिए बक्षीस नामे के अनुसार वर्तमान हाल जमाबन्दी मे जो वादी के कब्जे काश्त में है कि खातेदारी घोषणा करा हाल रिकार्ड मे मृतक हुडी के बजाय वादी का नाम इन्द्राज कराना चाहता है।

यह कि उक्त आराजीयात पर वादी के अलावा किसी अन्य का कोई कब्जा नही है प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त खातेदार होने से उसका हिस्सा भी दर्ज है जिससे वादी व प्रतिवादी स01 के बीच आराजी सीमा को लेकर हमेशा ही विवाद बना रहता है इसलिए वादी उक्त आराजीयात मे हिस्सा बटवाडा कब्जे अनुसार अलग जमाबन्दी कायम करा लगान बन्दी कराना चाहता है इसलिए वादी के पक्ष मे उसके हिस्से कब्जे अनुसार बटवाडा की डिक्री भी प्राप्त करना चाहता है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी स01 के कब्जे मे होने से प्रतिवादी आये दिन अनाधिकृत प्रवेश कर आराजीयात मे खडी फसल को नुकसान पहुचाते है जिसके लिए भी प्रतिवादी स01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

यह कि वादपत्र का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के होने से वादी के पक्ष मे खातेदारी घोषणा बटवाडा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान किये जाना न्यायहित मे है ।

यह कि दिनाक 15.3.2016 को वादी पटवारी हल्का रूपाखेडी के पास बक्षीस लाने के आधार पर वादी गया तब पटवारी हल्का ने नामान्तरण खोलने से मना कर दिया जिससे वादी ने राजस्व रेकार्ड से साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड दिनाक 05.04.2016 को प्राप्त किया तब से उक्त वादपत्र पेश करने का कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की–

–पक्षवादी विरूद्व प्रतिवादीगण वादपत्र की कालम सं0 3 मे अंकित साबिक आराजी नं0 के अनुसार निष्पादित बक्षीसनामा के कालम स01 मे वर्णित हाल आराजी नं0 मे अंकित खातेदार हुडी पुत्री घीसा के बजाय वादी को खातेदार घोषित करने की डिकी जारी की जावे तथा राजस्व रेकार्ड मे हुडी के नाम वादी का नाम इन्द्राज किया जावे।

–पक्षवादी विरूद्व प्रतिवादी स01 के इस आशय की बटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी फरमाई जावे कि कालम स01 मे वर्णित आराजीयात मे वादी का 2/3 हिस्से कब्जे अनुसार बटवाडा किया जाकर अलग जमाबन्दी कायम की जावे तथा वादी के हिस्से मे प्रतिवादी स01 द्वारा अनाधिकृत प्रवेश कर नुकसान नही पहुचावे, ऐसा कार्य प्रतिवादी सं0 1 नही करे और अपने परिवार जन, नोकर, एजेन्ट से भी नही करावे ।

–खर्चा मुकदमा वकील मेहनताना व अन्य दाद मुफिद हो वादी के पक्ष मे दिलाई जावे ।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 [illegible] वादी व प्रतिवादी ने हाजिर होकर तथा पेरोकार सरकार ने जवाब इकबालिया [illegible]। तदनुसार दिनांक 01.05.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। प्राथमिक [illegible] तहसीलदार कपासन द्वारा दिनांक 10.01.2024 को बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो शा0फा0 की गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:43 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पत्रावली में वादी द्वारा धारा 88 के द्वारा चाही गयी दाद वादी को प्राप्त हो चुकी है, अतः केवल बटवाडा की दाद तक ही वाद पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अतः वकील वादी के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 07.02.2024 को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट0 तक स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा रूपाखेडी पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन के हाल आ0नं0 1185 रकबा 0.44 हैक्ट0, आ0नं0 1187 रकबा 0.02 हैक्ट0, आ0नं0 1202 रकबा 0.08 हैक्ट0, आ0नं0 1203 रकबा 0.23 हैक्ट0, आ0नं0 1206 रकबा 0.52 हैक्ट0, आ0नं0 1207 रकबा 0.29 हैक्ट0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.58 हैक्ट0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट प्रस्ताव दिनांक 15.03.2022 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. भैरूलाल पुत्र रामा जाति भील सा0 उमण्ड खातेदार हिस्सा पूर्ण

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1185	0.44	पड़त 2
2	1202	0.08	पड़त 2
3	1203	0.23	पड़त 2
4	1207	0.29	पड़त 2
योग	**कुल किता–04**	**1.04**	

2. देऊ पत्नि किशोर जाति भील सा0 उमण्ड खातेदार हिस्सा पूर्ण

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1206	0.52	पड़त 2
योग	**कुल किता– 01**	**0.52**	

3. भैरूलाल पुत्र रामा हिस्सा 2/3 जाति भील, देऊ पत्नि किशोर हिस्सा 1/3 जाति भील सा0 उमण्ड खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1187	0.02	आ0चा0
.योग	**कुल किता– 1**	**0.02**	

तदनुसार अंकन हो। यदि रहन हो तो बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:34:43 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official